तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
13/12/24.	पत्रावली पेश हुई। वक्त पुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश 10/01/25 को पेश हो। Sd/- 13/12/24.	
10.1.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रतिवादी उपस्थित / अनु. अधिवक्ताओं की अधिक्रता के कारण आज इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 28/1/25 को पेश हो।	
28/01/25	पत्रावली पेश हुई। वक्त पुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश 21/02/25 को पेश हो। Sd/- 28/01/25	
21/02/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण में ~~दो~~ चार प्रार्थनापत्र लंबित हैं, जिनको निम्नानुसार निस्तारित किया जाता है —	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	(1) वादीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O22 R 4 CPC दिनांक 19/5/22 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी क्र. 3/ संरक्षक का देहान्त हो चुका है। अतः संरक्षक के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिया जावे। अभिभावक अन्सारी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर No. objection किया गया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र O22 R4 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी क्र. 3/ संरक्षक के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता है। (2) वादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O23 R 1 & 2 एवं 151 CPC प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ख.नं. 304 की 0.67 Hect भूमि में से 3/4 हिस्से के सम्बन्ध में

... अधिकारी ... कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

वादीगण द्वारा वाद के भाग को
परित्याग किये जाने का तथ्या ख.नं.
304 की 0.07 है० भूमि में से
प्रतिवादी क्रम (1) के खाते वाले 1/4
हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में वाद
को यथावत चलाये जाने का अपितु
खसरा नं. 304 की शेष 3/4 हिस्से
की भूमि के सम्बन्ध में दावा हाल
नहीं चलाने का आदेश फरमावें।
प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र
प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि
प्रार्थनापत्र में अंकित आराजी संयुक्त
खाते की है जिसका पक्षकारान के
मध्य कोई विभाजन नहीं हुआ है,
यानि कि सम्पूर्ण आराजी पक्षकारान
के संयुक्त खाते की आराजी है जिसमें
पक्षकारान एवं गवाहों के बयान लेखबद्ध
होने के उपरान्त ही अन्तिम बहस
सुनकर प्रकरण का निस्तारण हो सकेगा।

3 उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अतः प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। बहस वकुलाय फरीकैन सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि वह स्वेच्छा से 3/4 हिस्से के लिए अपना हक त्याग रहा है, अतः दावे को CPC के प्रावधानों के तहत आंशिक रूप से विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि खाता शामलाती है व शामलाती कब्जा है, प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच जमीन पर अधिकार है, अतः आंशिक हिस्से पर दावा विड्रो नहीं किया जा सकता। हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया व बहस वकुलाय फरीकैन पर गम्भीरता पूर्वक मनन किया। हमने O23 R1 CPC

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
मैं सदभाव मार्गदर्शन प्राप्त किया। O23 R1 CPC के अनुसार — "At any time after the institution of a suit, the plaintiff may as against all or any of the defendants abandon his suit or abandon a part of his claim, Provided that where the plaintiff is a minor or other person to whom provisions contained in rules 1 to 14 order XXXII extend, neither the suit nor any part of the claim shall be abandoned without the leave of the court." स्पष्टतया O23 R1 यह प्रावधान करता है कि वादी बिना किसी शर्त के मुकदमा वापस ले सकता है या अपने दावे के एक हिस्से को छोड़ सकता है।	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	परिणामत: O 23 R 1 CPC के प्रकाश में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O 23 R 1 & 2 एवं 151 CPC स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण को ख.न. 304 रकबा 0.67 हैक्टेयर के 3/4 हिस्से तक प्रार्थनापत्र अनुसार दावा विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
	(3) वादीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र 16/12/19 को अन्तर्गत O 22 R 4 CPC बाबत बनाये जाने कायम मुकामान प्रतिवादी नं. (1) मृतक तोल्या उर्फ तोलाराम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी नं. (1) तोल्या उर्फ तोलाराम का लगभग 2 माह पूर्व देहान्त हो चुका है। अतः तोल्या के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे।
	अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर सहमति व्यक्त की गई है।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O22 R4 CPC स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी क्रम ① तोल्या उर्फ तोलाराम के वारिशान को रिकार्ड पर लिया जाता है।	
④ प्रतिवादी क्रम ① के वारिस मुकाम्मात द्वारा दिनांक 12/03/2020 को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 151 CPC इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि तोल्या वल्द पुत्र धनराराम का 29.8.2019 को देहान्त हो चुका है। हस्तगत प्रकरण में स्थगन के कारण तोल्या का कोई इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा रहा है। विद्वान अभिभाषक आवेदकों द्वारा निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा नौकरशाह वाद भौके व रिकार्ड की यथास्थिति को बनाये रखने का आदेश दिनांक 5/8/19	

उपखण्ड अधिकारी को पारित किया गया था। उक्त स्थगन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आदेश के परिणामस्वरूप नोटिस दर्ज नहीं किया का फौती इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा रहा है। जबकि फौती इन्तकाल से सम्पत्ति पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। मृतक खातेदार के स्थान पर उसके वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में आना न्यायोचित भी है व कानूनन अनिवार्य भी है।
	उक्त समस्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र मत में यदि खातेदार का देहान्त हो चुका है तो उसके वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए।
	अतः आवेदकों (प्रतिवादी 1 के कायम मुकामान) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 151 CPC स्वीकार कर तहसीलदार खानपुरा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम गिरधरपुरा की आराजी कुल किता 6 रकबा 15 बीघा

किता नम्बर ग्राम रामनगर की आराजी

अधिकारी
कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
कुल किता 2 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा पर मृतक खातेदार नौल्या उर्फ नौलूराम पुत्र चतराराम जाति माली निवासी गिरधरपुरा के स्थान पर उसके वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें। तथा फौती इन्तकाल दर्ज करने के उपरान्त न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 05/08/2019 का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते संशोधित टंकण दिनांक 28/02/25 को पेश हो (हस्ताक्षर) 21/12/25 उपखण्ड अधिकारी कोटा	